

राजस्थान सरकार  
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/स्थाना0/2010/ 30735-30764 जयपुर, दिनांक: 24.9.10

**आदेश**

निम्नांकित व्याख्याताओं के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर स्वयं की मांग/प्रशासनिक दृष्टि से तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं-

क्र०सं०	नाम कार्मिक	पद	कहाँ से	कहाँ को	वि०वि०
1.	श्री शैलेन्द्र स्वामी	व्याख्याता (हिन्दी)	राजकीय दरबार आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जूनी मण्डी, जोधपुर	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गनोडा बांसवाडा	रिक्त पद पर
2.	श्री महामाया प्रसाद चौबीसा	व्याख्याता (साहित्य)	संभागीय कार्यालय उदयपुर	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर	व्याख्याता साहित्य पद पर

नोट:

1. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2010 में क्र०सं० 2 पर अंकित श्री सीताराम गूर्जर व्याख्याता साहित्य का रा०शा०सं०महाविद्यालय बौली स०मा० से रा०शा०सं०महाविद्यालय, तलाबगांव दौसा में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
2. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2010 में क्र०सं० 3 पर अंकित श्री जगदीश प्रसाद मीणा व्याख्याता साहित्य का रा०शा०सं०महाविद्यालय तलाबगांव दौसा से रा०शा०सं०महाविद्यालय, बौली स०मा० में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
3. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2010 में क्र०सं० 4 पर अंकित श्री ओम प्रकाश पाराशर व्याख्याता ज्योतिष का रा०शा०सं०महाविद्यालय गनोडा, बांसवाडा से रा०आ०सं०महाविद्यालय, तलाबगांव दौसा में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
4. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2010 में क्र०सं० 5 पर अंकित श्री कैलाश चन्द शर्मा व्याख्याता ज्योतिष का रा०शा०सं०महाविद्यालय तलाबगांव दौसा से रा०आ०सं०महाविद्यालय, गनोडा, बांसवाडा में किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
5. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2010 में क्र०सं० 8 पर अंकित श्री शिवनाथ मिश्र व्याख्याता हिन्दी का रा०आ०सं०महाविद्यालय जोधपुर से रा०आ०सं०महाविद्यालय, गनोडा, बांसवाडा में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर हिन्दी के पद पर समायोजित किया जाता है।
6. क्रम संख्या 1 को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। शेष मामलों में स्थानान्तरण स्वयं के आवेदन/स्वेच्छा से होने के कारण उन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा बल्कि वास्तविक यात्रा समय ही दिया जायेगा।
7. उक्त आदेश प्रसारित होने से पूर्व जिन व्याख्याताओं के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से यथास्थिति के आदेश हैं, उन पर उक्त आदेश लागू नहीं होंगे।


  
निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/स्थाना0/2010/ 30735 - 30764 जयपुर, दिनांक: 24.9.10

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मान० संस्कृत शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, मान० संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार
3. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित प्राचार्य
5. संबंधित कार्मिक
6. व्यक्तिगत पंजिका/रक्षित

  
संयुक्त निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर